WWJMRD 2017; 3(9): 348-350
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
e-ISSN: 2454-6615

प्रवीण पाठक
पीएच.डी. गांधी एवं शांति अध्ययन, महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

Correspondence:
प्रवीण पाठक
पीएच.डी. गांधी एवं शांति अध्ययन, महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

1942 की आष्टी क्रांति

प्रवीण पाठक

उदेश्य-

मेरा मुख्य उदेश्य की इन शहीदों के गाँव आष्टी गाँव को वो स्थान प्राप्त करवाना जो इसे इतिहास के पन्नों में मिलना चाहिए। आष्टी के शहीदों पर एक प्रामाणिक शोध कार्य करना हैं।

अगस्त १९४२ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेज़ो को "भारत छोड़ो" की चुनौती दी और इन्हें भारत न छोड़ने पर जन-आंदोलन छेड़ दिया। 16 अगस्त 1942 को आष्टी गाँव के लोग आष्टी पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने वाले थे। सभी सत्याग्रही आष्टि पुलिस चौकी पहुँच कर सत्याग्रह करने लगे। तभी पुलिस उपनिरीक्षक रामनाथ मिश्रा ने शांति तरीके से आष्टी पुलिस चौकी पर सत्याग्रह कर रहे आष्टी के लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली-बारी में गोविंद माल्पे जी,नवाब रशीद खा सादल खा,केशव श्रावण ढ़ोगे,पंची पोलसू गोंड,उदेभानजी डोमाजी कुबड़े शहीद हो गये। उसी समय आस पास के सैकड़ों गाँव के लोग भी आष्टी पुलिस चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। इन सत्याग्रहियों का नेतृत्व गुलाबराव वाघ कर रहे थे। जब सत्याग्रहियों को यह पता चला की पुलिस की गोली बारी में उनके साथी मारे गए हैं तो सभी सत्याग्रहियों ने आष्टी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। और आष्टी पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर रामनाथ मिश्रा,पुलिस हवलदार श्री लाल सिंह,हवलदार श्री महादेव प्रसाद,श्री विनायक,श्री विनायक को मार डाला। ५ दिसंबर १९४२ को विशेष न्यायालय द्वारा सत्याग्रहियों को फाँसी की सज़ा सुनायी गयी। वहीं सेशन्स कोर्ट, वर्धा नें २१ अक्टूबर १९४४ को नत्थु बाबूजी कुनबी, दलपत भगवान कुनबी,मारोती कृष्णा कोहली, पंजाबराव गणपतराव मानकर को तीन वर्ष से लेकर उम्र कैद की सज़ा दिया गया।

मुख्य शब्द – आष्टी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रही, वर्धा अदालत, नागपुर हाईकोर्ट
स्रोत –यह शोध पत्र को प्राथमिक स्रोत से लिखा गया है।

प्रस्तावना –

भारतीय इतिहास में 9 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। अगस्त के अन्य दिनों की तरह इस रोज भी बंबई में एक भयंकर तूफान की आशा की जा रही थी। चारों तरफ बादल घिरे थे। इस तूफान ने भारतीय राजनीति के सारे रूप को ही बदल दिया। ब्रिटिश नौकरशाही का अपनी पूर्व संगठित योजनानुसार कांग्रेस पर विद्युत गति से आक्रमण प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन 8 अगस्त के रात 10 बजे समाप्त हुआ। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने वाइसराय को पत्र लिखने का संकेत किया। उधर ब्रिटिश नौकरशाही ने 9 अगस्त को सारे देश में हमला बोल दिया। कई दिन पहले से नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जिले में भेजे जा चुके थे॥ प्रस्ताव के पास होते ही हुकूमत और सैनिक मशीनरी हरकत में आ गई। कार्य-समिति के सदस्य हर सूबे,जिले शहर और गाँव के कोंग्रेसी नेता पकड़ लिए गये। अखबारों के गले घोट दिए गये। कांग्रेस-संगठन गई कानूनी करार दे दिया गया। कांग्रेस दफ्तरों में ताले पद गये व उनकी संपति जब्त कर लिया गया। इस प्रकार सारे देश में फौजी कानून स्थापित किया गया। सारा देश जेलखाना बन गया। सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेता बंदी बना लिए गये। सभी को जेल में डाल दिया गया। स्वभावत: इसकी प्रतिक्रिया हुई। जोश व रोष से परिपूर्ण जनता ने विरोध प्रदर्शन किए,सभाएँ की,हड़ताल की, और 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' के नारे से प्रभावित तथा खुले विद्रोह की प्रवृति से प्रोत्साहित जनता विभिन्न कार्य-कर्मों की तलाश में भटकने लगी।

भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा से पास हुआ था। स्वभाविक सी बात थी की वर्धा के लोग भारत की आजादी में बढ़-चढ़ कर भाग लेगे। आष्टी थाने पर सत्याग्रह करने का फैसला किया। आष्टी थाने पर आजादी का झण्डा फहराने का फैसला हुआ। ठीक 11 बजे वडाला से 250 लोगों की भीड़ कांग्रेस स्लोगन के साथ नारे बाजी करते हुए पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंची।

पुलिस थाने के अंदर आने की मांग करने लगे इस बात लो लेकर उप-निरीक्षक रामनाथ मिश्रा और कॉन्स्टेबल लाल सिंह सत्याग्रहियों से गेट पर ही पुलिस और सत्याग्राहियों के बीच बहस होने लगी। तभी सत्याग्रही नारे बाजी करने लगे। और पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस का झंडा फहराने की मांग करने लगे।

और भीड़ अंदर आने के लिए गेट पर ज़ोर देने लगी। इसके बाद उप-निरीक्षक राम नाथ मिश्रा ने उनको पुलिस थाने के अंदर आने की इजाजत दे दी। सभी सत्याग्रही पुलिस थाने के बरामदे में बैठ गए। इसके बाद पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी की पुलिस वाले थाने का दस्तावेज सत्याग्रहियों को सौंप दे ताकि इसको जला कर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सके। लेकिन बात-चीत पूरी तरह से असफल रही। और पुलिस इस बात के लिए राजी नहीं हुए। तभी थाने के अंदर तोड़-फोड़ शुरू हो गई। कुछ लोग थाने के पीछे से खिड़की को तोड़ कर थाने के अंदर घुस गए। और पुलिस दस्तावेज़ को बाहर लाकर उसको जलाने लगे। भीड़ के बेकाबू हो जाने पर कॉन्स्टेबल समद और विनायक ने सत्याग्रहियों पर गोली चला दी। इस गोली बारी में पाँच लोग घायल हो गए। इस गोली-बारी में गोविंद माल्पे जी,नवाब रशीद खा सादल खा,केशव श्रावण ढ़ोगे,पंची पोलसू गोंड,उदेभानजी डोमाजी कुबड़े शहीद हो गये। उप-निरीक्षक राम नाथ मिश्रा ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व कर रहे पांडुरंग सवालाखे और मोती राम होले को जेल में दाल दिया। पुलिस थाने में हुई गोलीबारी की खबर अष्टि के आस-पास के गाँव वालों को मिली। अपने लोगो की मौत की खबर मिलते ही 12.30 या 1 बजे आष्टी और आस –पास गाँव के एक हजार की संख्या में आष्टी पुलिस थाने की ओर बढ़ चले। सभी लोगों के हाथों में लाठी, पत्थर थे। सभी सत्याग्रही पुलिस थाने पंहुच गए। और थाने में प्रवेश कर गए। अपने लोगों को घायल और मृत अवस्था में देखकर लोग अपना नियंत्रण खो बैठे। पुलिस वालों पर पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस अपने बचाव में गोली-बारी शुरू कर दी। रामनाथ मिश्रा खुद अपनी पिस्तौल से लैंस था। लेकिन पुलिस की गोलीबारी का कोई सत्याग्रहियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। अत: मजबूर होकर पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। हेड कॉन्स्टेबल इमाम खान,कांस्टेबल, समद, नारायण,सफदर बेग,जंगल की तारफ भागने का मन बनाया। जबकि कॉन्स्टेबल महादेव प्रसाद,और लाल सिंह विनायक ने उप-निरीक्षक के कमरे में भागकर पनाह ली। सत्याग्रहियों की भीड़ उप-निरीक्षक के करे पर लगातार पत्थर फेंक रही। अपने को अकेला पाकर घिरा पाकर अपने बंदूक से अपना बचाव करने का प्रयास किया। इसी बीच पांडुरंग सवालाखे,मोती राम होले को सत्याग्रहियों को थाने से छुड़ा लिया। इसी बीच ने उप-निरीक्षक रामनाथ मिश्रा की हत्या कर दी। उप-निरीक्षक की हत्या करने के बाद कमरे में पनाह लिए महादेव प्रसाद, विनायक, लाल सिंह को बाहर लाकर हत्या कर दी। इसके बाद उत्तेजित भीड़ का का अगला निशाना समद था। जो जंगल की तरफ भाग गया था। उसको भी जंगल से खोज कर हत्या कर दिया गया।

फिर आष्टी पुलिस थाने को जला दिया। यह सब दोपहर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक चला। सभी शहीदों को एक जगह लाकर जलाया गया। रशीद खान को दफनाया गया। फिर नारे लगे 'भारत माता की जय' सभी शहीद अमर रहें। दूसरे दिन जब पुलिस वाले गाँव आने लगे तो आष्टी गाँव वालों ने आर्वी और तलेगांव गाँव के सड़कों पर बड़े-बड़े पेड़ काटकर रास्ते के बीच में रख कर बंद कर दिया। ताकि पुलिस फोर्स आष्टी तक पहुँच न सके। 17 अगस्त को यंग सार्जेंट सात गाड़ी फोर्स और साथ में डीएसपी अली अख्तर,सर्कल इंस्पेकटर तारा चंद, एसडीओ महता के साथ आष्टी पहुँच गए। फिर लोगों की धर-पकड़ शुरू हुई। कुल 114 लोगो को पकड़ा गया।

गाँव में केवल बूट की आवाज आ रहीं थी। पुलिस वाले लोगों को मारते –पीटते थे। सरकारी गवाह डाकटर कामत,व शकुंतला मिश्रा,चौकीदार गोपाल को बनाया गया। इसके बाद कई लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया। जिसमें करीम खान,नसीरुद्दीन खान,सुशीला मिश्रा(रामनाथ मिश्रा की बेटी), हुसैन नवी, अब्दुल,छोटो बाई(महादेव प्रसाद की पत्नी), लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया। आरोपीयों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किये गए। जो इस प्रकार है। धारा 109,149,35 भारतीय सुरक्षा कानून, 148,224,225,302, 327,395,396,447,452, के तहत केस दर्ज किया गया। फिर लोगों को अलग –अलग जेलों में भेज दिया गया। 21 अगस्त को विशेष अदालत का गठन हुआ। इसके राव, वी.एन. देव स्पेशल जज बने। सरकार की तरफ से पारेख ठाकुर,केदार,काकड़े, घाटे थे। आरोपियों ने अपने बचाव में कहा की वे उन्हें मारने नहीं गए थे। वे केवल सत्याग्रह करने गए थे। ये सब तो इंस्पेकटर रामनाथ मिश्रा के कारण हुआ। सबसे पहले उसने ही गोली चलाने का आदेश दिया। जिससे कारण अपने लोग मारे गए। हमे फ़साया गया है। फिर न्यायमूर्ति का फैसला आया। उनका कहना था की पुलिस वालो का कर्तव्य था की वह पुलिस थाने और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करें। यदि आप लोग पुलिस थाने की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो शायद पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ती। इसका फैसला 5 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 62 दिन के बाद शनिवार के दिन न्यामूर्ति राव बहादुर ने इंडियन पीनल कोड 149 के तहत सभी को सजा सुनायी इनमें से दस लोगो फाँसी की सजा हुई। 54 लोगो को उम्र कैद की सजा हुई 16 लोगों को अलग-अलग सजा हुई। 32 को छोड़ दिया गया। किसी महिला को सजा नहीं हुई। फिर अँग्रेजी सरकार ने निर्णय का पुनः निरक्षण किया और न्यायमूर्ति पोलो को नियुक्त किया। 16 में से 6 लोगों को न्यायमूर्ति पोलक ने छोड़ दिया। 7 फरवरी को फाँसी निवारक समिति का गठन हुआ। डॉ खरे इसके चेयरमैन बने। अनुसुया बाई कार्य अध्यक्ष बनी। 5 से 6 लोग इसके सदस्य बने। फाँसी से लोगो को बचाने के लिए गवर्नर को पत्र लिखा गया। इसके लिए हाईकोर्ट में पीटीशन दायर की गई। बाद में प्रांतीय गवर्नर ने 29 जनवरी 1945 को चार लोगों की फाँसी की सजा रद्द कर दी। बाकी को बचाने के लिए इंग्लैंड के सम्राट को पत्र लिखा गया। लेकिन अर्जी रद्द हो गई। गांधी जी ने कहा की जिन लोगों ने हिंसा किया हैं वह गुस्से में किया यदि उनको फाँसी होती है तो यह हत्या होगी। गांधी जी ने 13 जुलाई को वायसारय को पत्र लिखा। गांधी जी सभी गवर्नर,वायसराय,भारत के मंत्री से मिले। की आप लोग फाँसी पर विचार करें। डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने इंग्लैंड की नई सरकार को पत्र लिखा। 16 अगस्त को वाइसराय को एक टेलीग्राफ भेजा गया की लोगों की फाँसी की सजा रद्द की जाती हैं।

इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में आष्टि गाँव के लोगों ने अपना योगदान दिया।

5 दिसंबर 1942 को वर्धा विशेष न्यायालय द्वारा फाँसी की सजा पाने वाले सत्याग्रही

- श्री पांडुरंग जैराम कलार
- श्री उकन्या आनंदराव भोई,
- श्री कालेखान विलायतखान
- श्री नत्थु जैराम माली
- श्री रघुनाथ पांडुरंग कुंभार
- श्री माधव श्रावण देशमुख
- श्री गुलाबराव विठ्ठल राव वाघ
- श्री तुलसीराम सखाराम पांचघरे
- श्री बकाराम रामजी मुकदम
- श्री वामन बलीराम टेली

वर्धा विशेष न्यायालय द्वारा उम्रक़ैद की सजा पाने वाले सत्याग्रही

महादेव बलीराम सवालखे, मोतिराम चैतू गोंड, काशीराम बलीराम मालपे, श्रावण जानबा सुतार, बापुराव कृष्णराव मालपे, गणपत विठू माली, लोद्या कचन्या कोतवाल, विनायक बापुराव ब्राहमन, चंपत हमद्य भोई,

उध्या गणपत कसार,बापुराव माधव तेली, रामभाऊ शिवराम पाटील,सूर्यभान शिवराम पाटील,राजाराम शिव भोई,इशराम बापूजी तेली, इठथ्या सखाराम माली,बापुराव नत्थु तेली, नागो गणपत राव, मारोती गणपत गुरव,मारोती राजाराम गुरव, मल्लिकार्जून नारायनगणप्पा गवली,

माधोराव नारायण मुकदम, रामा चैतू गोंड, शंकर तुलसीराम कुनबी,शिवराम पैकू माली, मनीराम लक्ष्मण माली, मारोती भानाजी माली,बंडयाप्पा सदाशिवयाप्पा वाणी, बाब्या बकारम जवादे तेली, शंकर सदोबा कोष्टी,

बालमुकुंद रामलाल बनिया,शंकर तुलसीराम माली,काशीनाथ माली,पांडुरंग रामजी माली,शामराव नागोबा माली,नामदेव बलीराम सोनार, नत्थू कृष्णजी रामे,

कृष्णराव गोविंदराव कुणबी, नत्थू राघोजी नागपुरे(खड़की), जानराव आनंदराव कुणबी (खड़की),
नारायण धन्नु मुनान्दे (खड़की), चंद्रभान शिवराम नागपुरे (खड़की), शामराव राघोजी नागपुरे (खड़की),गंगाधर भगवान नागपुरे(खड़की), सूर्यभान धनाजी मुनान्दे(नरसापुर), वामन गोविंद भड़के (नरसापुर),
बांकेराव विठोबाजी भड़के (नरसापुर), दौलत बालाजी वाघ (सिरसोली), विष्णु तात्याजी वाघ (सिरसोली), कृष्णराव बलीरम कोहले (देलवाडी), तुकाराम बकराम महार (अंतोरा), रंगराव व्यंकतराव कुणबी, पुत्ता मोहनजी कुणबी, भीमराव राजाराम भिवापुरे कुणबी, बलदेव बालकृष्ण कुणबी

21 अक्तूबर 1944 वर्धा कोर्ट द्वारा 17 फरार आरोपियों को सजा का ऐलान –

- अन्ना दौलतरव पाटील, खड़की (निर्दोष मुक्त),
- नत्थू बाबूजी कुणबी, बड़ाला (तीन वर्ष सश्रम कारावास)
- दलपत भगवान कुणबी,बड़ाला (तीन वर्ष सश्रम कारावास)
- रामराव बकाराम कुणबी, बड़ाला (निर्दोष मुक्त)
- मारोती कृष्णाजी कोहली, देलवाड़ी (तीन वर्ष सश्रम कारावास)
- वेंकटी बाबलाजी कुणबी,किंहाना (निर्दोष मुक्त)
- मरोती हणमंतराव मराठा,सिरसोली (निर्दोष मुक्त)
- पंजाबराव गणपतराव मानकर, इत्तमगाँव (उम्रक़ैद)
- गणपति किसन भोई, आष्टी (उम्रक़ैद)
- पांडुरंग हिरसा सवालाखे, आष्टी (उम्रक़ैद)

नागपूर हाईकोर्ट द्वारा फाँसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करना

- श्री पांडुरंग कलार, कालेखान विलायत खान, माधव देशमुख

,गुलाबराव वाघ

- प्रांतीय सरकार द्वारा फाशी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करना
- बकराम तेली, नत्थू जयराम, रघुनाथ कुंभार, वामन बलीराम तेली,
- केंद्र सरकार द्वारा 18 अगस्त 1945 को फासी रद्द करना
- तुलसीराम पांचघरे, उकन्या आनंदराव भोई

शोध समस्या-शोध कार्य की समस्या यह हैं की प्राथमिक स्रोतो का सही ढंग से अध्ययन करना। क्योकि अधिकांश स्रोत प्राथमिक स्रोत हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Wardha court caes file 1942
2. Wardha special court case files 1942